भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

20.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3299 का उत्तर

रेलवे में अपशिष्ट प्रबंधन

3299. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल ने चलती रेलगाड़ियों से ठोस अपशिष्ट फेंकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यशील कूड़ादानों तथा अपशिष्ट-संग्रहण तंत्र से युक्त रेलगाड़ियों और डिब्बों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(ग) रेलगाड़ियों से एकत्रित ठोस अपशिष्ट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा जोन-वार अनुचित तरीके से अपशिष्ट निस्तारण के लिए उल्लंघन के कितने मामले पाए गए और कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल ने चालित रेलगाड़ियों से ठोस अपशिष्ट के डंपिंग के रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस संबंध में कुछ प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- रेलगाड़ी परिचालन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग कर्मचारियों द्वारा एकत्र किया जाता है, सीलबंद बैग में संग्रहित किया जाता है और केवल नामोदिष्ट स्टेशनों पर इसका निपटारा किया जाता है।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सभी यात्री डिब्बों में कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं।
- यात्रियों को रेलपथ पर कचरा न फेंकने को प्रोत्साहित करने हेतु जन-उदघोषणाओं, पोस्टरों और संदेशों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

- ओबीएचएस कर्मचारियों द्वारा अपशिष्ट के डंपिंग को बढ़ावा न देने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण और गहन अभियान।
- लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में गाड़ी चालन के दौरान डिब्बों में शौचालयों, दरवाजों, गलियारों और यात्री डिब्बों की सफाई के लिए और किसी भी यात्री की शिकायत पर ध्यान देने के लिए ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग कर्मचारी सेवा प्रदान की जाती है।
- निर्धारित ठहराव के दौरान चिह्नित गाड़ियों में मशीनीकृत सफाई के लिए क्लीन ट्रेन स्टेशन सेवा शुरू की गई है। उच्च दाब जेट मशीनों और सफाई उपकरणों से लैस कर्मचारियों की समर्पित टीम डिब्बों में शौचालयों की सफाई के बाद उन्हें सुखाने का कार्य करती है।
- डिब्बों के आंतरिक, बाहरी और शौचालयों सहित बेहतर सफाई के लिए प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान डिब्बे की मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित की जा रही है।
- सभी यात्री सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं ताकि पटरियों पर सवारी डिब्बों से कोई मानव मल अपशिष्ट न फैले, जिससे स्वच्छता का स्तर बेहतर हो सके। बायो टॉयलेट के प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	लगाए गए बायो-टॉयलेट की संख्या
2004-2014	9,587
2014- फरवरी 2026 तक	3,66,250

- यदि चालित रेलगाड़ियों में अनुचित अपशिष्ट के निपटान का पता चलता है तो सेवा प्रदाता और रेल कर्मचारियों पर उचित दंड लगाया जाता है।
